UDAIPUR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY

(Apex body of Trade, Industry, Mining, Education & Tourism of Southern Rajasthan)

UCCI e-News Letter

UCCI/Newsletter/2017-18/Dec/4

20th December 2017

ई – वे बिल पर यूसीसीआई में लाईव ट्रेनिंग कार्यशाला का आयोजन – दिनांक 20 दिसम्बर 2017

''जिस प्रकार बोर्ड की परीक्षा से पूर्व प्री–बोर्ड परीक्षा होती है, उसी तर्ज पर राजस्थान के उद्यमियों एवं व्यापारियों को ई–वे बिल प्रणाली का अभ्यस्त बनाने हेतु प्रायोगिक रूप में ई–वे बिल व्यवस्था आज से लागू की गई है।''

उपरोक्त जानकारी वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त श्री एच.एस. भाटी ने यूसीसीआई में दी।

उदयपुर चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्री द्वारा वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त तत्वावधान में ''ई–वे बिल'' प्रणाली पर व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त श्री एच.एस. भाटी, राज्य कर अधिकारी श्री रवीन्द्र सिंह चुण्डावत, राज्य कर अधिकारी श्री प्रहलाद मीणा एवं कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी श्री अशोक त्रिवेदी ने लगभग 100 से अधिक कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों को एनआईसी की वेबसाईट पर जाकर ई–वे बिल सम्बन्धी हेण्डस ऑन ट्रेनिंग प्रदान की।

श्री रविन्द्र सिंह ने बताया कि फिलहाल केवल 33 कमोडिटी पर ई–वे बिल लागू किया गया है। ई–वे बिल की परिधि से 153 उन कमोडिटिज को मुक्त रखा गया है जिन पर जीएसटी लागू नहीं होता है। फिलहाल व्यापारियों एवं ट्रांसपोर्टर्स को ई–वे बिल कर प्रणाली का अभ्यास कराने हेतु प्रयोगिक रूप में आज से लागू किया गया है। दिनांक 16 जनवरी 2018 से सभी कमोडिटीज पर ई–वे बिल लागू हो जायेगा। दिनांक 1 फरवरी 2018 से सम्पूर्ण देश में ई–वे बिल प्रणाली पूर्ण रूप से लागू हो जायेगी तथा इन्टर स्टेट गुड्स ट्रांसपोर्ट हेतु ई–वे बिल अनिवार्य होगा। दिनांक 1 जून 2018 से राज्य के भीतर भी माल के परिवहन हेतु ई–वे बिल आवश्यक होगा।

श्री एच.एस. भाटी ने बताया कि ई–वे बिल प्रणाली के तहत ट्रांसपोर्टर का भी पंजीकृत होना आवश्यक है। ई–वे बिल को जनरेट किये जाने के उपरान्त कैन्सल/रिजेक्ट/अपडेट किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टर द्वारा अलग अलग

व्यापारियों का अलग अलग माल एक ही ट्रक से परिवहन करने पर कन्सोलिडेटेड ई–वे बिल की व्यवस्था रखी गई है। इन्टरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं होने पर एन्डरॉईड मोबाईल फोन अथवा एसएमएस के माध्यम से ई–वे बिल जनरेट किये जाने की सुविधा भी रहेगी।

प्रश्नकाल के दौरान प्रतिभागियों की शंकाओं एवं जिज्ञासाओं का वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा समाधान किया गया।

कार्यशाला में सीक्योर मीटर्स, वॉलकेम इंडिया, जे.के. टायर कांकरोली, आर.एस.डब्ल्यू. एम. लि. ऋषभदेव, केशव मालू एण्ड एसोसिएट्स, स्वर्णकार आर्ट एण्ड क्राफ्ट, मेवाड़ पोलिटेक्स, जी.जी. वॉल्वज, शाह पॉलिमर्स, बजाज सेवाश्रम, बिनानी सीमेन्ट, रिलायन्स केमोटेक्स, मेवाड़ हाईटेक इंजिनियरिंग आदि विभिन्न कम्पनियों के अकाउन्ट्स विभाग के अधिकारियों ने भाग लिया।

राजस्थान में ई-वे बिल लागू किया...

अब प्रदेश से बाहर माल भेजने या मंगाने पर ई-वे बिल फॉर्म जरूरी

पत्रिका मार्केट अपडेट

फिलहाल पायलट प्रोजेक्ट, देश में 16 जनवरी से होगा प्रभावी

उदयपुर. राजस्थान के बाहर से माल मंगाने या भेजने को लेकर बिल-बिल्टी जैसे दस्तावेजों के साथ ई-वे बिल फॉर्म भी लगाना जरूरी होगा। राज्य सरकार ने बुधवार को पूरे प्रदेश में ई-वे बिल लागू कर दिया है। सरकार ने दो दिन पहले इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी। इस बिल को राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 20 दिसम्बर से लागू किया है तथा जीएसटी कर प्रणाली में यह व्यवस्था आगे संपूर्ण देश में लागू की जाएगी। राज्य सरकार ने अधिसूचना में अधिसूचित 33 कर योग्य वस्तुओं के 50 हजार रुपए से अधिक कीमत के होने पर ऐसे माल को राज्य के बाहर से मंगाए जाने पर अथवा राज्य से बाहर भेजने की स्थिति में (माल के आयात-निर्यात) बिल, बिल्टी जैसे आवश्यक दस्तावेजों के साथ-साथ ई-वे बिल फॉर्म भी संलग्न करना अनिवार्य होगा।

ई-वे बिल, यानी यह: ई-वे बिल फॉर्म विक्रेता व ट्रांसपोर्टर में से कोई भी जारी कर सकता है। वैट अधिनियम के तहत केवल खरीदार ही वैट-47 फॉर्म जारी कर सकता था। क्रेता-विक्रेता के अपनीकृत होने की स्थिति में भी ई-वे बिल फॉर्म जारी करने की सुविधा दी गई है। अधिसूचित 33 कर योग्य वस्तुओं के 50 हजार रुपए से अधिक कीमत के माल के प्रदेश से आयात-निर्यात पर ई-वे फॉर्म भरना होगा।

प्रावधान : पार्ट-अ व्यवसायी और ब ट्रांसपोर्टर भरेगा: ई-वे बिल फॉर्म में पार्ट-अ व पार्ट-ब दो भागों में भरे जाने के प्रावधान है। पार्ट-अ व्यवसायी द्वारा भरा जाएगा जिसमें फॉर्म का पंजीयन नम्बर, माल विगत का एच.एस.एन. कोड, बिल क्रमांक, माल कीमत, कर दर जैसी सूचनाएं भरी जाएगी। पार्ट-ब में ट्रांसपोर्टर को वाहन संख्या की जानकारी देने की अनिवार्यता रखी गई है।

ई-वे बिल व्यवस्था में ट्रांसपोर्टर्स को भी पंजीकरण कराते हुए अपनी कम्पनी की ट्रांसपोर्ट आई.डी. बनानी होगी। व्यवहारी द्वारा पार्ट-अ की आवश्यक सूचनाएं भरने के पश्चात् ऑनलाईन ही अपने ट्रांसपोर्टर की आई.डी. पर फॉर्म को स्थानान्तरित कर देगा। ट्रांसपोर्टर को ई-वे बिल की मूल प्रति दस्तावेज के साथ संलग्न करना अनिवार्य नहीं है। केवल ई-वे बिल क्रमांक ही बिल-बिल्टी पर अंकित करना ही पर्याप्त होगा।

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जरूरी, ऐसे कर सकते हैं यह काम

- ई-वे बिल फॉर्म जारी करने के लिए प्रत्येक व्यवहारी को ऑन-लाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा। http://ewaybill.nic.in वेबसाईट पर एनरोलमेन्ट करवाने की सुविधा प्रदान की है, एनरोलमेन्ट के पश्चात् ही वह व्यवहारी/ट्रांसपोर्टर ई-वे बिल जारी कर सकेगा।
- जीएसटी में पंजीकृत व्यवहारी को अपने जीएसटी नम्बर की सहायता से इस पोर्टल पर पंजीकृत होना होगा, वहीं ट्रांसपोर्टर एवं अपंजीकृत व्यवहारी अपने पैन नम्बर तथा अपार नम्बर की सहायता से पंजीकरण करवाना होगा।
- पोर्टल पर पंजीकरण की यह प्रक्रिया प्रारम्भ में केवल एक बार ही करने की आवश्यकता है। इस प्रक्रिया से प्राप्त आई.डी. का प्रयोग उपयोगकर्ता अपने के तमाम संव्यवहारों में कर सकेगा।
- जिला मुख्यालय व स्वतंत्र मुख्यालय स्तर कार्यालय में व्यवहारियों की मदद के लिए व्यवहारी सुविधा केन्द्र भी स्थापित किए है।
- अधिसूचित वस्तुओं के एच.एस.एन. कोड विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

जुलाई से अनिवार्य होगा ई-वे बिल, प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर शुरुआत

यूसीसीआई में जुटे विशेषज्ञों ने साझा किए विचार

ब्यूरो नवज्योति। उदयपुर

जिस प्रकार बोर्ड की परीक्षा से पूर्व प्री-बोर्ड परीक्षा होती है, उसी तर्ज पर राजस्थान के उद्यमियों एवं व्यापारियों को ई-वे बिल प्रणाली का अभ्यस्त बनाने के लिए प्रायोगिक रूप में ई-वे बिल व्यवस्था बुधवार से लागू की गई है। यह जानकारी वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त एचएस भाटी ने यूसीसीआई में दी। यूसीसीआई द्वारा वाणिज्य कर विभाग के साझे में ई-वे बिल प्रणाली पर व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला हुई। इसमें सहायक आयुक्त एचएस भाटी, राज्य कर अधिकारी रवीन्द्र सिंह चूंडावत व प्रहलाद मीणा एवं कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी अशोक त्रिवेदी ने लगभग 100 से अधिक कार्यशाला में उपस्थित प्रतिभागियों

को एनआईसी की वेबसाइट पर जाकर ई-वे बिल संबंधी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दी गई। रविंद्र सिंह ने बताया कि फिलहाल केवल 33 कमोडिटी पर ई-वे बिल लागू किया गया है। ई-वे बिल की परिधि से 153 उन कमोडिटिज को मुक्त रखा गया है जिन पर जीएसटी लागू नहीं होता है। फिलहाल व्यापारियों एवं ट्रांसपोर्टर्स को ई-वे बिल कर प्रणाली का अभ्यास कराने हेतु प्रायोगिक रूप में लागू किया गया है।

16 जनवरी 2018 से सभी कमोडिटीज पर ई-वे बिल लागू हो जाएगा, 1 फरवरी 2018 से सम्पूर्ण देश में ई-वे बिल प्रणाली पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी तथा इंटर स्टेट गुड्स ट्रांसपोर्ट हेतु ई-वे बिल अनिवार्य होगा। 1 जून 2018 से राज्य के भीतर भी माल के परिवहन हेतु ई-वे बिल आवश्यक होगा। एचएस भाटी ने बताया कि ई-वे बिल प्रणाली के तहत ट्रांसपोर्टर का भी पंजीकृत होना आवश्यक है। ई-वे बिल को जनरेट किए जाने के उपरान्त कैन्सल, रिजेक्ट, अपडेट किया जा सकता है। ट्रांसपोर्टर द्वारा अलग अलग व्यापारियों का अलग अलग माल एक ही ट्रक से परिवहन करने पर कन्सोलिडेटेड ई-वे बिल की व्यवस्था रखी गई है। इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं होने पर एंड्रॉइड मोबाइल फोन अथवा एसएमएस के माध्यम से ई-वे बिल जनरेट किए जाने की सुविधा रहेगी।

ई वे-बिल प्रणाली पर कार्यशाला

उदयपुर. राजस्थान के उद्यमियों एवं व्यापारियों को ई वे-बिल प्रणाली का अभ्यस्त बनाने के लिए प्रायोगिक तौर पर सरकार ने इसे आज से लागू कर दिया है। यह जानकारी वाणिज्य कर विभाग के सहायक आयुक्त एचएस भाटी ने बुधवार को यूसीसीआई में इस व्यवस्था पर हुई कार्यशाला में दी। यूसीसीआई और वाणिज्य कर विभाग ने "ई वे-बिल" प्रणाली पर व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए कार्यशाला की।

ई - वे बिल पर कार्यशाला

उदयपुर. यूसीसीआई की ओर से वाणिज्य कर विभाग के साझे में 'ई-वे बिल' प्रणाली पर व्यावहारिक प्रशिक्षण कार्यशाला हुई। सहायक आयुक्त एच.एस. भाटी, राज्य कर अधिकारी रवीन्द्र सिंह चुण्डावत, प्रालाद मीणा एवं कनिष्ठ वाणिज्य कर अधिकारी अशोक त्रिवेदी ने लगभग 100 से अधिक प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया।

UDAIPUR CHAMBER OF COMMERCE & INDUSTRY
Chamber Bhawan, Chamber Marg, M.I.A., Udaipur-313003 (Raj.)
Phone : 0294-2491060, 2492215
Website : www.ucciudaipur.com, Email : uccisec@hotmail.com, uccisec@gmail.com